RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

# भारतीय समाज एवं घरेलू हिंसा : सामान्य विवेचन

डॉ बलवीर सेन

सह–आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी, नागौर (राज0)

**ARTICLE DETAILS**

**Article History**
*Published Online:* 20 January 2019

**Keywords**
भारत, हिंसा, घरेलू, नारी।

**ABSTRACT**

आज नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, अपितु घेरलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर–गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति आत्म–उपलब्धि का जीवन प्रारम्भ होगा। परन्तु इसके विपरीत सैकड़ों विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार–पीट और यातना की अन्तहीन लम्बी अन्धेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं, जहां उनकी चीख–पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुख तो यह है कि ऐसी मार–पीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा अनुभव होती है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ौसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति–पत्नी के बीच एक निजी मामला समझा जाता है। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएं तो वहां भी पुरूष प्रधान संस्कृति में पले पुलिस अधिकारी पहले नारी का ही मजाक उड़ाते हैं और रिर्पोट लिखने में आनाकानी करते हैं। पुरूष को पत्नी की पिटाई का निरपेक्ष अधिकार है और आम आदमी यह मानकर चलता है कि नारी पिटने लायक ही होगी। अतः पिटेगी ही। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शान्त और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में, जहां पति–पत्नी दोनों शिक्षित और आत्म–निर्भर है, फिर भी मार–पीट की घटनाएं हो जाती हैं और यह नियमितता का रूप लेने लगती हैं। कहीं–कहीं पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ बहुत मार–पीट करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस करती है क्योंकि वह जहां–कहां शिकायत करें, चाहे पड़ौसी हो, चाहे उसके सगे–सम्बन्धी, चाहे पुलिस, वकील या जज़, सभी उसे समझौता करने की सलाह देते है।

सेनल का कहना सही है कि इस घरेलू हिंसा के विरूद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। नगरों में नारियों को परस्पर बातचीत करना सीखना चाहिए और एक–दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत तो ऐसे संरक्षण–गृहों की है जहां ऐसी परिस्थिति में नारी अपने बच्चों के साथ सिर छिपा सके और फिर इसी दशा में आवश्यक कदम उठा सके। यहां यह बता दिया जाना आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से नारी के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है और पुलिस का यह दायित्व है कि ऐसे मामलों की जांच करें। ऐसा न करना उनकी कार्य के प्रति लापरवाही समझी जाती है जो दण्डनीय है । किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा निजी विषय नहीं हो सकता, यह तो सार्वजनिक मामला है।[1]

घेरलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग नारियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को प्रमुखतः सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है। इसलिए दहेज की समस्या एक भयंकर समस्या बनती जा रही है। आए दिन समाचार–पत्रों में दहेज की शिकार अभागी नारियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। इसके विरूद्ध हाल ही में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, पर पति के परिवार में अकेली नारी क्या करे ? पिता या भाई भी कब तक विवाहित बेटी या बहन को अपने घर पर रखें। कहीं–कहीं आर्थिक कठिनाई उन्हें मजबूर करती है कि बेटी के लालची ससुराल वालों के साथ समझौता करने का प्रयत्न करते रहें। परिणाम अभागी नारी की मृत्यु ही होता है।[2]

ज्यादातर दहेज हत्याएं पति के घर में पति पक्ष के लोगों द्वारा एकान्त में की जाती है। इनका कोई अधिक ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं। अनेक दहेज हत्याओं को सामान्य मृत्यु बता दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

न्यायमूर्ति डॉ. पी. वेनूगोपालन ने भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया है। यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा–जोखा देने हेतु विवश करता है तथा अन्य किसी पुरूष के साथ उसके यौन सम्बन्ध के सन्देह में उनकी अवमानना करता है तो इसे भावात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय पत्नी के साथ यौन सम्बन्धी कार्यों हेतु उसकी इच्छा के विरूद्ध जोर जबरदस्ती

RRIJM 2015, All Rights Reserved

करना है। यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में हैं और वह उस समय नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है। इनका कहना है कि बिना प्यार के यौन सम्बन्ध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है।[3]

विवाह के सन्दर्भ में नारियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जिससे उसे प्यार करने व संरक्षण प्रदान करने की आशा की जाती है वहीं उसे पीटना शुरू कर देता है। यह पति पर पत्नी के विश्वास को पूर्णतः भंग कर देता है। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसी घटनाएं पति नशे में ही अधिकतर करते हैं, परन्तु अन्यथा भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वह सारा अत्याचार चुपचाप सहन करती है और अपने भाग्य को कोसती रही है।

नारी के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। उसका सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बनना है। सूनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। हिन्दुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परम्परा नहीं थी । विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन की आशा की जाती थी। इस पर भी उसे अनिष्टकारी माना जाता था और घर की बड़ी–बूढ़ियां उसे डायन कहती थीं जो अपने सुहाग को खा गई। उससे आशा की जाती थी कि वह यौन सम्बन्धी सभी बातों से विमुख रहेगी, जबकि परिवार के नजदीकी रिश्तेदार और समाज में फिरते भूखे भेड़िये उसकी देह लूटने की चेष्टा करते हैं। यदि जाल में फंस गई तो सारा दोष उसी का है, पुरूष तो उस लांछन से छूट ही जाता हैं। हिन्दू समाज ने शायद इसीलिए सत्ती प्रथा का आविष्कार कर लिया था कि विधवा अपने पति की लाश के साथ जिन्दा जला दी जाए, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी या फिर वृन्दावन और बनारस में विधवाओं को बाल मुंडवाकर रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। आज भी ये हजारों की संख्या में सड़कों पर भिक्षा मांगती दिखाई देती हैं।[6]

नारी हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह मां के गर्भ में है, या जन्म लेने के बाद नारी शिशु हत्या के रूप में है और चाहे जलती बहू या किसी अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी घटनाएं भी सम्मिलित हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हों कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। यह सामाजिक एवं घरेलू दोनों प्रकार की हिंसा मानी जाती है। ऐसी घटनाएं नारी के उत्पीड़न की बड़ी दर्दनाक कहानियां प्रस्तुत करती हैं और वह इक्का–दुक्का घटनाएं नहीं हैं कि जिन्हें अपवाद समझकर टाल दिया जाए। यह तो एक राष्ट्रीय खोज का विषय है। बारबरा डी. मिलर ने उचित ही लिखा है कि नारी शिशु–हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो मारने–पीटने से जहर देकर या गला घोंटने से हत्या होती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन–पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। अब तो एक नया तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसे 'एमनियोसेंटेसिस' कहा जाता है, जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और हजारों की संख्या में लोग, यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है, गर्भपात करा लेते हैं। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है। बहुत से कुतर्की कहते हैं कि अगर पहले से ही किसी के कई लड़कियां हैं तो ऐसे मां–बाप का, जहां केवल लड़के की चाह है, ऐसा करना अनुचित नहीं है।[7] अनचाहे शिशु को जन्म देने से क्या लाभ? परन्तु यह तर्क तो ऐसा है जैसे यह कहना कि हम गरीबी नहीं चाहते तो गरीबों को मार ही क्यों न दिया जाए या फिर जिस माता–पिता के पहले से कई लड़के हैं और गर्भ परीक्षण से पता चले कि गर्भ में फिर एक लड़का है तो क्या ऐसे में भी वह गर्भपात करना चाहेंगे? सच तो यह है कि पुत्र या पुत्री के चरित्र व आचरण से परिवार का नाम चलता है न कि मात्र पुत्र के द्वारा। महात्मा गांधी के चार लड़के थे, पर आम आदमी उनका नाम तक नहीं जानता, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पुत्री थी और सारी दुनिया उसका नाम जानती है। इसी भांति लड़की मां–बाप की ज्यादा सेवा करती है और नालायक बेटा तो माता–पिता के लिए मृत्युपर्यन्त जी का जंजाल बना रहता है।[8]

निष्कर्ष :– दहेज के अतिरिक्त मार–पीट के द्वारा भी नारी हत्या की अनेक घटनाएं मिलती हैं। कभी– कभी कहा जाता है कि नारियां ही नारियों की दुश्मन हैं। प्रायः सास ही बहू पर अत्याचार करती हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से पुरूष ही नारियों को ऐसे उत्पीड़न का हथियार बनाते हैं। भला वह नारियां जिन्हें परिवार के लिए किसी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किसी अन्य नारी की जान कैसे ले सकती हैं? इस सम्बन्ध में हम नीना कपूर को पुनः उद्धृत करना चाहेंगे, जिन्होंने वस्तु–स्थिति का बड़ा सही निर्णय लिया है, "सम्भवतः यह शक्ति का अहसास है, शक्ति किसी अपनी ही श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर और उसके विरूद्ध, परन्तु यह आत्म–निर्णय की शक्ति नहीं है। ऐसी नारियां तो पितृसत्तात्मक परिवार की वफादार सिपाही हैं जो अपनी ही नारी जाति का खून बहाती हैं ताकि उनके मालिक का हित हो सके। वास्तव में, वह प्रायः निर्दोष पक्ष बनकर दूर खड़ी हो जाती है और नारी बनाम – नारी द्वन्द्व का निर्णायक और जज बन जाती है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. डॉ. संजीव महाजन (2016), भारतीय समाज, अर्जुन प्रकाशन, देहली, पृ. 9
2. प्रकाश नारायण नाटाणी (2013), भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, रिसर्च पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 13

3. दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, फरवरी 2015
4. आचार्य रोहित (2016), नारी और शिक्षा, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली, पृ. 63
5. डॉ. धर्मकीर्ति (2014), मनु बनाम लादेन, परममित्र प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 91
6. आज का सुरेख भारत, सितम्बर 2002 एवं फरवरी 2003
7. दैनिक हिन्दुस्तान
8. नवभारत टाइम्स

RRIJM 2015, All Rights Reserved 